फैक्स / ई–मेल

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद्,उ0प्र0,
अनुभाग–5,लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी।
उत्तर प्रदेश।

संख्या– R-675 / जी–05–03ए / 2015(टी0सी0) दिनांकः 19,मार्च, 2018

विषयः– मिनजुमला गाटों के भौतिक विभाजन की कार्यवाही हेतु सामान्य आदेश निर्गत किए जाने विषयक।

महोदय,

उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली–2016 के नियम 26 में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में परिषद द्वारा सामान्य निर्देश दिये जाते हैं कि मिनजुमला नम्बरों के भौतिक विभाजन के सम्बन्ध में जब तक गांव के प्रत्येक गाटे के मिनजुमला नम्बरों की स्कीम तैयार नहीं की जाती है तब तक यदि किसी आवेदक द्वारा मिनजुमला नम्बरों के भौतिक विभाजन के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो सम्बन्धित गाटे के खातेदार / सह खातेदारों के बीच भौतिक विभाजन उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 की धारा 30(2) के अनुसार किया जायेगा और तद्नुसार राजस्व अभिलेखों को संशोधित किया जायेगा।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि मा0 परिषद के उपरोक्त निर्देशों के अनुसार मिनजुमला नम्बरों के भौतिक विभाजन हेतु अपने जनपद के समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित कर उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,
19/3/2018
(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्तः–
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) निजी सचिव, मा0 सदस्यगण, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) प्रमुख सचिव,राजस्व, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
(4) समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
(5) तकनीकी निदेशक, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त परिषदादेश, परिषद की वेवसाइट पर अपलोड करायें।
(6) गार्ड फाईल।

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।